



क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर  
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR  
कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर-251001

संदर्भ सं०  
Ref. No.

39/NOC-1/MZR/2014

दिनांक

Dated 24-4-14.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सेवा में,

श्री विजय वर्मा पुत्र श्री स्व० धर्मेन्द्र वर्मा  
(हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, रिटेल आऊटलेट)  
एम०एस०के० तिराहा, एस०एच०-12 पानीपत-खटीमा रोड,  
तहसील व जिला शामली।

विषय:-पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने आवेदन पत्र संख्या शून्य दिनांक ..... का संदर्भ लें। आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृति की जाती है।

1 अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है-

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| (क) स्थल:                        | खसरा संख्या 1677 तहसील सदर जिला शामली।                    |
| (ख) उत्पादन:                     | डीजल 40 किली एवं पेट्रोल 16 किली भण्डारण/विक्रय कार्य     |
| (ग) मुख्य कच्चे माल:             | डीजल 40 किली एवं पेट्रोल 16 किली भण्डारण/विक्रय कार्य     |
| (घ) प्रयुक्त ईंधन:               | 15 के०वी०ए० क्षमता के डी०जी० सेट हेतु डीजल आवश्यकतानुसार। |
| (ङ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा | शून्य   |

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। (इस अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष तक की है )

- उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।
- उद्योग इकाई में परीक्षण, उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन को इकाई से उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिकारियों के वैज्ञानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
- उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।